उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

बुधवार 30 आषाढ़, शक संवत्, 1926

(दिनांक : 21 जुलाई, 2004)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न्

1. अन्य प्रश्न (देखिये नत्थी **"क"**)।

2. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

3. श्री प्रेमानन्द महाजन, सदस्य, विधान सभा, "जनपद ऊधमसिंह नगर के 20 प्रतिशत बांगला विद्यार्थियों वाले विद्यालयों में प्राथमिक स्तर से स्नातक स्तर तक बांगला भाषा के अध्ययन के सम्बन्ध में" श्री राम गोपाल सरकार एवं अन्य निवासीगण, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

4. श्री प्रेमानन्द महाजन, सदस्य, विधान सभा, "जनपद ऊधमसिंह नगर के मसीत ने0हा0 74 से बरेली नगर-सकैनिया मोटर मार्ग 6.60 कि0मी0 मरम्मत/पुर्ननिर्माण के सम्बन्ध में" श्री पुलिन सिकदार एवं अन्य निवासीगण, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

5. श्री प्रेमानन्द महाजन, सदस्य, विधान सभा, "जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर क्षेत्रान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय खेमपुर, उ0प्र0वि0 जगदीशपुर, उ0प्र0वि0 कूल्हा, प्र0वि0 कौपा, प्र0वि0 मसीत, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या दिनेशपुर, उ0प्र0वि0 चितरंजनपुर, उ0प्र0वि0 पिपलियां नं0 1, प्र0वि0 नन्दपुर विद्यालयों के उच्चीकरण के सम्बन्ध में" श्री बाबू सिंह तोमर एवं अन्य निवासीगण, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

....2/...

6. श्री प्रेमानन्द महाजन, सदस्य, विधान सभा, "जनपद ऊधमसिंह नगर के चितरंजनपुर पूर्व माध्यमिक विद्यालय को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में" श्री विरंचीपद राय एवं अन्य निवासीगण, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

7. श्री प्रेमानन्द महाजन, सदस्य, विधान सभा, "जनपद ऊधमसिंह नगर में बुक्सौरा वाया दुर्गापुर, प्रफुल्लनगर, धीमरी ब्लाक मार्ग ल0 5 कि0मी0 मरम्मत एवं पुनः निर्माण के सम्बन्ध में" श्री विरंचीपद राय एवं अन्य निवासीगण, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

8. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

9. नियम 315 के खण्ड (14) व (15) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

10. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

11. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

12. श्री शूरवीर सिंह सजवाण द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-
"यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2004 को दिये गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।"

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

13. नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 21 जुलाई, 2004

(महेश चन्द्र)
सचिव।

उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची

बुधवार, 30 आषाढ़, शक संवत्, 1926

(दिनांक : 21 जुलाई, 2004)

नत्थी 'क'

तारांकित प्रश्न

श्री प्रीतम सिंह पंवार
12-05-2004

*1. क्या दुग्ध विकास मंत्री भिज्ञ हैं कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 मातली उत्तरकाशी में उत्प्रवाह शुद्धिकरण यंत्र (E.T.P.) को क्रय एवं स्थापित करने पर बीस लाख रूपये से अधिक की धनराशि व्यय की गई? उक्त संयंत्र को प्रयोग में लाये जाने के क्या कारण हैं? क्या यह सत्य है कि उक्त संयंत्र को प्रयोग में न लाये जाने के कारण पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्या सरकार उनके विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

दुग्ध विकास

श्री मदन कौशिक
13-05-2004

*2. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में कितने पंजीकृत एन.जी.ओ. कार्यरत हैं? क्या यह सत्य है कि कतिपय गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सरकारी धन के दुरूपयोग की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार ऐसी संस्थाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

आठवें सोमवार के तारांकित 02 में स्थाना0

कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' 26-05-2004	*3. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में गूर्जर जाति को विमुक्त जाति का दर्जा दिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	समाज कल्याण

अतारांकित प्रश्न

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 05-05-2004	1. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 30 सितम्बर, 2003 तक पशुपालन विभाग द्वारा कुल कितनी धनराशि की दवाओं की खरीद के आदेश विभिन्न कम्पनियों को दिये गये? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वित्त वर्ष का बजट पारित होने से पूर्व दवाओं के क्रय किये जाने का प्राविधान है?	पशुपालन
श्री मदन कौशिक 06-05-2004	2. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना बनायी गई है? यदि हाँ, तो योजना का प्रारूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	पशुपालन
श्री मदन कौशिक 12-05-2004	3. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास के लिए क्या योजनायें चलायी जा रही हैं? क्या इन योजनाओं का लाभ इस वर्ग को मिल रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?	समाज कल्याण
श्री प्रीतम सिंह पंवार 13-05-2004	4. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में माह मार्च, 2004 तक कितने वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही थी तथा कुल कितने आवेदन पत्र क्रमशः प्रतीक्षा सूची में थे? क्या सरकार सभी प्रतीक्षारत आवेदन पत्रों को स्वीकार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	समाज कल्याण
श्रीमती विजय बड़थ्वाल 13-05-2004	5. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी के विकास खण्ड-यमकेश्वर, द्वारीखाल व दुगड्डा में कितनी हाईड्रम योजनायें वर्ष 2003-2004 तथा 2004-2005 के लिए स्वीकृत की गई हैं?	सिचांई
श्रीमती विजय बड़थ्वाल 15-05-2004	6. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड यमकेश्वर में कितने पशु चिकित्सालय, पशु प्रसार केन्द्र है तथा वे किन-किन स्थानों पर हैं? क्या पशु चिकित्सालय यमकेश्वर में पशु चिकित्सक नियुक्त हैं? यदि हाँ, तो माह जनवरी, 2004 से माह अप्रैल, 2004 तक चिकित्सक के अनुपस्थित रहने के क्या कारण थे?	पशुपालन

श्री प्रीतम सिंह पंवार 17-05-2004	7. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा की पट्टी-भण्डारस्यूँ तथा विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ की पट्टी दशगी, हातड़ दशगी के गांवों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है? क्या विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के न्याय पंचायत धारकोट के खदाड़ा, टिपरी गड़ोली, बताड़ी तथा उड़खोला पिछड़े क्षेत्र में सम्मिलित किये गये हैं जबकि धारकोट, ज्येष्टवाड़ी, कैंथोगी, जोखणी और चिलोट न्याय पंचायत धारकोट के ये गांव पिछड़ा क्षेत्र लाभ से वंचित हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार वंचित गांवों को पिछड़ा क्षेत्र में सम्मिलित करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	समाज कल्याण
श्री प्रीतम सिंह पंवार 18-05-2004	8. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नलकूप खण्ड देहरादून को वर्ष 2003-04 में कुल कितनी धनराशि अनुरक्षण मद में प्राप्त हुई है और इस धनराशि का व्यय किन-किन नलकूपों में किन-किन कार्यों पर किया गया? क्या उक्त खण्ड के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी नलकूप सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	सिचांई
श्री प्रीतम सिंह पंवार 19-05-2004	9. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2003-04 में लघु सिंचाई विभाग उत्तरकाशी को अनुरक्षण मद में कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है? उक्त धनराशि को विकासखण्डवार किन-किन योजनाओं पर व्यय किया गया?	सिचांई
श्री प्रीतम सिंह पंवार 20-05-2004	10. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2003-04 में जनपद उत्तरकाशी के पशुपालन विभाग को भेड़ विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भेड़ पालकों को उन्नत नस्ल के मेढें दिये जाने के अन्तर्गत सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त हुई तथा जनपद के विकासखण्डवार किन-किन पशुपालकों को उक्त योजना के अन्तर्गत उन्नत नस्ल के मेढें वितरित किये गये? यदि नहीं, तो क्यों?	पशुपालन
श्री प्रीतम सिंह पंवार 20-05-2004	11. क्या दुग्ध विकास मंत्री के संज्ञान में है कि जनपद उत्तरकाशी के वनचौरा मार्ग पर वल्क कूलर की स्थापना हेतु वर्ष 2002-03 में रू0 7.20 लाख की धनराशि विभाग को प्राप्त हुई? यदि हाँ, तो वनचौरा मार्ग में कब और कहाँ पर वल्क कूलर की स्थापना की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?	दुग्ध विकास
श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 20-05-2004	12. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विकास खण्ड चौखुटिया (जनपद-अल्मोड़ा) में रामगंगा दार्यी नहर में बकरमुण्डेश्वर नामक स्थान से सिंचाई पम्प लगाकर ग्राम सभा डांग व छानी तक लगभग 200 एकड़ ज़मीन में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?	सिचांई

श्री तसलीम अहमद 17-05-2004	13. क्या सिंचाई मंत्री मिज्ञ हैं कि जिला हरिद्वार के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लालढांग के ग्राम भोगपुर, रामपुर, रायघटी, रणजीतपुर, काँगड़ी, रसूलपुर मिट्ठी बेरी, चमरिया, श्यामपुर एक्कड़ आदि स्थानों को नदी एवं गंगा के तेज बहाव के कारण कृषि योग्य भूमि का कटाव हो रहा है तथा साथ ही जन-धन की भी क्षति हो रही है? यदि हाँ, तो सरकार उक्त ग्रामों में भूमि कटाव की रोक-थाम के लिए क्या कारगर कदम उठाने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	सिचांई
श्री प्रेमानन्द महाजन 22-05-2004	14. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला उधमसिंह में खरीफ की बुआई/रोपाई प्रकिया प्रारम्भ होने से पूर्व नहरों की सफाई के कार्य करा लिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?	सिचांई
डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी 22-05-2004	15. क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद चमोली के अन्तर्गत जोशीमठ में सिंचाई विभाग की भूमि महाविद्यालय जोशीमठ के नाम हस्तांतरित की जा रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	सिचांई
श्री प्रीतम सिंह पंवार 24-05-2004	16. क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि 31.03.2004 तक टिहरी बाँध परियोजना पर कुल कितना व्यय हो चुका है? इसमें से बाँध निर्माण पर कुल कितनी धनराशि तथा विस्थापन कार्य पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी? बाँध परियोजना का कितना प्रतिशत कार्य हो चुका है तथा यह बाँध कब तक बनकर पूर्ण हो जायेगा?	सिचांई
श्रीमती विजय बड़थ्वाल 24-05-2004	17. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल की सभी राजकीय नहरें जो पिछले पांच से 10 वर्ष पूर्व बनी थी पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उक्त नहरों की मरम्मत/पुनर्गठन करने हेतु कोई योजना बनाई गई है? क्या यह सत्य है कि नवार्ड के माध्यम से उक्त नहरों की मरम्मत कराई जा रही है? यदि हाँ, तो किन-किन नहरों की? यदि नहीं, तो क्यों?	सिचांई
श्री बिशन सिंह चुफाल 24-05-2004	18. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के पिपलतड़ गांव में सिंचाई हेतु नहर का निर्माण करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	सिचांई
श्री प्रीतम सिंह पंवार 25-05-2004	19. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य करने वाले मजदूरों का सर्वेक्षण किया गया है? यदि हाँ, तो कुल कितने लोग हैं तथा सरकार द्वारा उन्हें किस प्रकार की सहायता उपलबध करायी गई? यदि नहीं, तो क्यों?	द्वितीय मगंलवार के अता0 69 में स्थाना0

श्रीमती विजय बड़थ्वाल 25–05–2004	20. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवासीय विद्यालय कितने और कहाँ–कहाँ हैं? क्या जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में भी अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय खोला जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	समाज कल्याण
श्री बलबीर सिंह नेगी 26–05–2004	21 क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार क्षेत्र में क्षतिग्रस्त बासर, भडकोट, दुरागी तथा डौखर नहर के पुनरूद्धार/सुधारीकरण के लिये कोई कार्ययोजना बना रही हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार योजना का प्रारूप सदन के पटल पर रखेगी?	सिचांई
श्री बलबीर सिंह नेगी 26–05–2004	22 क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 10 अगस्त, 2002 को बादल फटने से बूडाकेदार क्षेत्र (जनपद टिहरी गढवाल) में कुल कितनी नहरें क्षतिग्रस्त हुई हैं? विगत दो वर्षों में सरकार ने सिंचाई हेतु कितनी क्षतिगस्त नहरों पर काश्तकारों के खेतों पर पानी देने का प्रयास किया ?	सिचांई
श्री प्रीतम सिंह पंवार 29–05–2004	23. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में सिंचाई विभाग की कुल कितनी नहरें वर्तमान में पूर्ण रूप से बन्द हैं? क्या इन नहरों को सुचारू रूप से चलाया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	सिचांई
श्री गोपाल सिंह राणा 27–05–2004	24. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनजाति आई0टी0आई0 खटीमा, उधमसिंह नगर में कम्प्यूटर अनुदेशक, फिटर II यूनिट के लिये फिटर अनुदेशक तथा एलाइड अनुदेशक, कार्यशाला गणना एवं विज्ञान अनुदेशक, भाषा अनुदेशक, सामाजिक अध्ययन अनुदेशक के पद सृजित हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त ट्रेड के पदों का सृजन कर रही है? यदि हाँ, तो उक्त पदों पर नियुक्तियां कब तक हों जायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?	समाज कल्याण
श्री गोपाल सिंह राणा 27–05–2004	25. क्या समाज कल्याण मंत्री भिज्ञ हैं कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय खटीमा उधमसिंह नगर का भवन एवं छात्रावास जर–जर अवस्था में हैं, जिससे कभी भी विद्यालय एवं छात्रावास में कोई दुर्घटना हो सकती है? यदि हाँ, तो क्या सरकार राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय खटीमा के भवन एवं छात्रावास के निर्माण हेतु कोई योजना बना रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	समाज कल्याण
श्री नारायण पाल 27–05–2004	26. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पशुपालन, मत्स्य पालन एवं दुग्ध सैक्टरों के लिए कोई मास्टर प्लान बनाया गया है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पशुपालन

श्री प्रेमानन्द महाजन 26-05-2004	27. क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला उधमसिंह नगर में गूलरभोज स्थित दीर्घाकार बहुउद्देशीय सरकारी समिति लि0 में वर्ष 2003-2004 में कितनी धनराशि का घोटाला हुआ था? इस घोटाले के दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गयी है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं तो क्यों?	सहकारिता
श्री गोपाल सिंह राणा 29-05-2004	28. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनजाति आई0टी0आई0 खटीमा, उधमसिंह नगर में डीजल मैकेनिक, इलैक्ट्रीशियन एवं कटिंग टेलरिंग/फैशन डिजाइनिंग ट्रेड बढ़ाये जाने की योजना है? यदि हाँ, तो उक्त ट्रेड (डीजल मैकेनिक, इलैक्ट्रीशियन एवं कटिंग टेलरिंग/फैशन डिजाइनिंग) कब तक प्रारम्भ कर दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?	समाज कल्याण
श्री गोपाल सिंह राणा 29-05-2004	29. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उधमसिंह नगर के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय खटीमा एवं बिडौरा के उच्चीकरण की कोई योजना है? यदि हाँ, तो उक्त विद्यालयों का उच्चीकरण कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	समाज कल्याण
श्री प्रेमानन्द महाजन 29-05-2004	30. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उधमसिंह नगर में प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में अल्प संख्यक विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्र वृत्ति की कोई धनराशि गत वर्ष वितरित की गयी? यदि हाँ, तो इससे जनपद के कितने विद्यार्थी लाभान्वित हुयें? यदि नहीं, तो क्यों?	समाज कल्याण
श्री तसलीम अहमद 01-06-2004	31. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लालढ़ांग मे ग्राम गेन्ड़ीखता, रसूलपुर, मिट्ठी बेरी, चमरिया, ढ़न्डियान वाला आदि जनजाति के परिवारों के विकास के लिये विभाग द्वारा क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	समाज कल्याण
श्री नारायण पाल 03-06-2004	32. क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उधमसिंह नगर के सितारगंज ब्लॉक में कौमन नदी, कैलाश नदी, कटना नदी, बेगुल नदी तथा नंधौर नदियों द्वारा लगातार कृषि भूमि का कटाव हो रहा है? यदि हाँ, तो सरकार उक्त नदियों पर बाढ़ नियन्त्रण के लिये क्या-क्या प्रयास कर रही है तथा इस हेतु बजट में कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया है?	सिचांई
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 03-06-2004	33. क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि कि दून वैली आफिसर्स कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि0, बसन्त विहार, देहरादून में विगत तीन वर्षो की आडिट रिर्पोट्स में वित्तीय अनियमितताओं तथा भूखण्डों के आवंटन में हेराफेरी तथा 'ग्रीन बेल्ट' हेतु विर्निदिष्ट भूमि का आवासीय भूखण्डों में आवंटन संबंधी गम्भीर आडिट आपत्तियां हैं? यदि हाँ, तो क्या इन आडिट आपत्तियों का अनुपालन करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों तथा इसके लिए कौन अधिकारी दोषी हैं?	सहकारिता

श्री प्रीतम सिंह पंवार 04-06-2004	34. क्या लघु सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में लघु सिंचाई विभाग द्वारा हौज-गूलों के निर्माण में प्रयुक्त सीमेण्ट मार्का सी.सी.आई. तथा ए.सी.सी. का मूल्य प्रति बैग किस दर से (वर्ष 2003-04) ठेकेदारों/टोलीनायकों के भुगतान में से काटा गया है? क्या ये दरें उत्तरकाशी जोशीयाड़ा, डुण्डा, चिन्यालीसौड़ व बड़कोट में तत्समय की दरों से अधिक थीं? यदि हाँ, तो कितनी?	लघु सिचांई
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 04-06-2004	35. क्या मत्स्य पालन मंत्री अवगत हैं कि जनपद गढ़वाल के ऐकेश्वर ब्लॉक के अन्तर्गत ग्राम उखलेख में पूर्वी नयार के किनारे मत्स्य हैचरी प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो उसकी प्रगति क्या है तथा कब तक हैचरी बनकर तैयार हो जायेगी?	मत्स्य पालन
श्री प्रीतम सिंह पंवार 05-06-2004	36. क्या लघु सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि लघु सिंचाई विभाग उत्तरकाशी द्वारा डुण्डा चिन्यालीसौड़ प्रखण्ड की योजनाओं के निर्माण के लिए सीमेण्ट उत्तरकाशी स्थित गोदाम से दिया जाता है? यदि हाँ, तो क्या सरकार चिन्यालीसौड़ प्रखण्ड की योजनाओं के निर्माण के लिए सीमेण्ट का गोदाम चिन्यालीसौड़ में बनवायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	लघु सिचांई
श्री प्रीतम सिंह पंवार 05-06-2004	37. क्या सहकारिता मंत्री अवगत हैं कि सहकारिता विभाग उत्तरकाशी द्वारा विकास खण्ड भटवाड़ी के बार्सू स्थित फार्म हाऊस में किन-2 जड़ी-बूटियों का उत्पादन किया जा रहा है? उक्त फार्म में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत/नियुक्त हैं?	सहकारिता
श्री प्रीतम सिंह पंवार 28-05-2004	38. क्या सिचांई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी बांध निर्माण से निर्मित जलाशय (झील) के कारण स्यांसू व छाम के पैदल झूलापुल डूब जायेंगे? यदि हाँ, तो ब्लॉक चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी की पट्टी दिचली व गमरी के गांवों के लोगों, जिन के शिक्षा संस्थान, स्वास्थ्य केन्द्र व्यापारिक प्रतिष्ठान आदि सुविधाओं के केन्द्र छाम व चिन्यालीसौड़ हैं, के लिए सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	सिचांई

उत्तरांचल विधान सभा

नत्थी "ख"

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन।

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1.	श्री मातबर सिंह कण्डारी नेता प्रतिपक्ष तथा श्री भगत सिंह कोश्यारी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार लाने के उपाय किये जाने, 2. भ्रष्टाचार एवं घोटालों पर पाबन्दी लगाने की कार्य योजना बनाये जाने, 3. ऊर्जा प्रदेश एवं पर्यटन प्रदेश के प्रारूप को तैयार किये जाने, 4. प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने की ठोस योजना तथा प्रत्येक विभाग में रोजगार परक योजनाऐं चलाने, 5. अफसरशाही पर अंकुश लगाने का ठोस प्रयास किये जाने, 6. जनता के उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ठोस प्रयास किये जाने, 7. दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, विजिटिंग प्रवक्ता, शिक्षा मित्र व शिक्षा बन्धुओं के नियमितिकरण के वायदे को सरकार द्वारा पूर्ण न किये जाने, 8. विकल्पधारियों की तत्काल उत्तर प्रदेश के लिए कार्यमुक्त किये जाने, 9. उत्तर प्रदेश के साथ परिसम्पत्तियों का शीघ्र बंटवारा किये जाने, 10. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार जो बी0पी0एल0 कार्ड से लाभान्वित नहीं हुए है, उनके बी0पी0एल0 कार्ड बनाये जाने,

....2/...

क्रं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

11. उत्तरांचल में फल पट्टी योजना बनाये जाने,
12. भारतीय बन संरक्षण अधिनियम, 1980 को लचीला बनाये जाने,
13. प्रदेश के दुर्गम एवं अतिदुर्गम पिछड़े क्षेत्रों में महिला चिकित्सालय खोले जाने,
14. प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बन्द पड़े औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किये जाने,
15. प्रदेश में बन्द पड़ी ग्रामीण सड़कों को यातायात के लिए चालू किये जाने,
16. प्रदेश में नजूल भूमि व वन भूमि जो वर्षो से कृषकों के कब्जे में है उसका नियमितिकरण किये जाने,
17. वन गुज्जरों को स्थायी रूप से एक स्थान पर बसाये जाने,
18. लो-बोल्टेज को समाप्त कराना तथा नियमिति बिजली सप्लाई, अशुद्ध बिलों को सुधारने का कार्यक्रम चलाये जाने,
19. किसानों को आलू, माल्टा, मटर, सेव, नाशपाती आदि का समर्थन मूल्य घोषित किये जाने,
20. किसानों को गन्ने का उचित मूल्य समय पर दिये जाने,
21. राष्ट्रीय पार्को एवं पशु विहारों के कारण ग्रामों के विकास की बाधा को दूर किये जाने,
22. विनाशकारी भूकम्प एवं भूस्खलन से पीडित लोगों को राहत दिये जाने,
23. नयी तहसीलों एवं नयी उप तहसीलों में स्टाफ, फर्निचर भवन की सुविधा प्रदान किये जाने,
24. गढ़वाल-कुमांऊ की सुन्दर रमणीक, धार्मिक तीर्थ स्थलों, ग्लेशियरों को विकसित किये जाने,
25. "ऐम्स" ऋषिकेश के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार से बजट प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जाने,
26. आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रकिया प्रारम्भ किये जाने,
27. पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक वर्ग, अनुसूजाति, अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास की कार्य योजना बनाये जाने,
28. पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन की प्रवृत्ति को रोके जाने,
29. खनन नीति एवं आबकारी नीति को संशोधित कर राजस्व को बढ़ाये जाने,

....3/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

30. उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ के भेड़ पालकों की ऊन का उचित मूल्य दिलाये जाने,
31. पेट्रोल-डीजल पर लगाये गये अतिरिक्त कर हटाये जाने,
32. लोक निर्माण विभाग की टेण्डर नीति से छोटे-छोटे ठेकेदारों के शोषण को बन्द किये जाने,
33. प्राथमिक विद्यालयों एवं जू0हा0 स्कूलों में अध्यापकों की तैनाती मानकों के आधार पर किये जाने,
34. वरूणावत, भूस्खलन, बाढ़, लामबगड़ त्रासदी के उपाय किये जाने,
35. विभिन्न विकास प्राधिकरणों से विकास शुल्कों की वृद्धि रोके जाने,
36. विकास कार्यो की गुणवत्ता बढ़ाये जाने,
37. शहरों के बढ़ते प्रदूषण को समाप्त किये जाने,
38. मूल निवास प्रमाण पत्र को सरलता से दिलाये जाने,
39. गम्भीर पेयजल संकट वाले गांव में पेयजल की सुविधा दिलाये जाने,
40. अग्नि से जंगलों को बचाने, पशु शिकार, अवैध पातन, अतिक्रमण रोके जाने,
41. उत्तरांचल को केन्द्र सरकार से मिलने वाले आर्थिक पैकेज को 2013 तक यथावत रखे जाने हेतु प्रयास किये जाने,
42. वर्ष 2000 के शासनादेशों द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने,
43. बैंकों से प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली, स्वरोजगार योजना, खादी ग्रामोद्योग योजना के लिए ऋण आसानी से दिलाये जाने,
44. स्थानान्तरण की तर्क संगत नीति बनाये जाने,
45. तहसील दिवस को सार्थक बनाये जाने,
46. अनाधिकृत विकास स्थानों एवं मेडिकल कालेजों पर प्रतिबन्ध लगाये जाने,
47. सड़क, नहर निर्माण में ली 'गयी कृषकों की भूमि का मुआवजा दिये जाने,
48. सूखे के प्रकोप से छुटकारा दिलाये जाने,
49. वित्तीय अनुशासन बनाये जाने,
50. भर्ती में पारदर्शिता कायम किये जाने,
51. चीनी मिलों के घाटे को कम किये जाने,

...4/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		52. सहकारी समितियों के चुनाव तथा मण्डी समिति के चुनाव शीघ्र कराये जाने,
2.	श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नही किया है :- 1. जनपद चमोली में विकास खण्ड पोखरी में लोक निर्माण विभाग का अस्थाई खण्ड खोले जाने, 2. जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में नये राजकीय महाविद्यालय खोले जाने, 3. जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी एवं घाट में नये आई0टी0आई0 खोलने, 4. जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में एक हजार की आबादी के गांव पगना, बेरासकुण्ड, मटई गांव को नये मोटर मार्गो से जोड़ने, 5. जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के उडा-माडा-चोपड़ा मोटर मार्ग की स्वीकृति, 6. जनपद चमोली के रा0हाईस्कूल चौण्डी तथा रा0हाईस्कूल सोनला कण्डारा के उच्चीकरण करने, 7. जनपद चमोली के राजकीय इण्टर कालेज के नन्द प्रयाग के भवन निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध करवाने, 8. जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी एवं घाट में अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु छात्रावास खोलने, 9. जनपद चमोली के संस्कृत विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृति किये जाने, 10. राजकीय महाविद्यालय पोखरी के भवन निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने, 11. जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट की नव सृजित उप तहसील को तहसील का दर्जा देने, 12. जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी एंव घाट में खेल मैदान निर्माण किये जाने, 13. जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट नन्दादेवी राजजात मार्ग पर पर्यटक आवास गृहों के खोले जाने,

...5/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		14. पर्यावरण की दृष्टि से जनपद चमोली को पोलोथीन मुक्त किये जाने, 15. जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के सितेल नामक स्थान पर नये झूलापुल निर्माण किये जाने।''
3.	काजी निजामुद्दीन	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. राज्य के अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों एवं सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत का आरक्षण का प्राविधान करने, 2. गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान हरियाणा राज्य के समनुरूप किये जाने, 3. पेट्रोल तथा डीजल पर अतिरिक्त कर को समाप्त करने, 4. उर्दू भाषा को राज्य की दूसरी भाषा का दर्जा देने, 5. मण्डी परिषद् द्वारा 1969 में लागू मण्डी शुल्क एवं मजदूरी दर को पुर्नविक्षित करने, 6. पर्यटक राज्य होने के कारण प्रदेश के सभी मार्गो पर पर्यटकों की सुविधा को दृष्टिगत पथकर समाप्त किये जाने।''
4.	श्री प्रकाश पन्त	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. जनपद पिथौरागढ़ में नैनी-सैनी हवाई पट्टी के विस्तार तथा नियमित वायुसेवा प्रारम्भ करने, 2. जनपद पिथौरागढ़ में रई (चटकेश्वर) झील के निर्माण करने, 3. जनपद पिथौरागढ़ में रिंग रोड की स्थापना करने, 4. जनपद पिथौरागढ़ में थरकोट, ऐंचोली, कुम्डार हाईस्कूलों के इण्टर स्तर पर उच्चीकरण करने, 5. जनपद पिथौरागढ़ में जू0हाईस्कूल चमाली, जू0हाईस्कूल वास्ते, जू0हा0 क्वीतड़, जू0हा0 नैनी-सैनी, हिमतड़ का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण करने,

...6/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

6. जनपद पिथौरागढ़ में खतीगांव, झूणी, हिमतड़ में चिकित्सालय खोलने,
7. जनपद पिथौरागढ़ में रई-मढ़-रोड़ीपाली मोटर मार्ग के निर्माण करने,
8. जनपद पिथौरागढ़ में छेड़ा-कुम्याचौड़-रोड़ी-झूणी मोटर मार्ग के निर्माण करने,
9. जनपद पिथौरागढ़ में अशोकनगर-भाटीगांव-क्वाखन मोटर रोड के निर्माण करने,
10. जनपद पिथौरागढ़ में बड़ाबे-पंचेश्वर मोटर मार्ग का निर्माण करने,
11. जनपद पिथौरागढ़ में चुपकोट बैन्ड-जमराड़ी मोटर मार्ग का निर्माण करने,
12. जनपद पिथौरागढ़ में चन्डाक-धारी मोटर मार्ग का निर्माण करने,
13. जनपद पिथौरागढ़ में कफलंडुगरी-बास्ते मोटर मार्ग का निर्माण करने,
14. जनपद पिथौरागढ़ में दिग्तोली-नैनी-प्यूड़ी मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
15. जनपद पिथौरागढ़ में छेड़ा-आगर मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
16. जनपद पिथौरागढ़ में छेड़ा-छाना-भुरमुनी मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
17. जनपद पिथौरागढ़ में बेस चिकित्सालय की स्थापना किये जाने,
18. जनपद पिथौरागढ़ में खेल विद्यालय की स्थापना किये जाने,
19. जनपद पिथौरागढ के खेल स्टेडियम को सुव्यवस्थित व समस्त खेल सुविधायें उपलब्ध करने,
20. जनपद पिथौरागढ़ में घाट पम्पिंग योजना से पूर्व में पेयजल हेतु जोडे गये गांवों को पुनः जोडे जाने,
21. जनपद पिथौरागढ़ में थरकोट, मासो, पुरान, जाख, बालाकोट ग्राम समूह पेयजल योजना का निर्माण किये जाने,
22. जनपद पिथौरागढ़ में जाख-नल्लू-चमाली मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
23. जनपद पिथौरागढ़ में जाख-मेलडुंगी मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,

...7/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		24. जनपद पिथौरागढ़ में ऐंचोली-मेलडुगरी-रामेश्वर मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने, 25. जनपद पिथौरागढ़ में मोस्टमानू, पशुपतिनाथ, असुरचुला, चन्डिकाघाट, थलकेदार, कामाक्षामन्दिर, लटोरा (बड़ाबे) को पर्यटन मानचित्र में लेकर स्थल विकास किये जाने, 26. जनपद पिथौरागढ़ में राजकीय महिला डिग्री कालेज खोले जाने।"
5.	श्री विशन सिंह चुफाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. जनपद पिथौरागढ़ में राजकीय कन्या इण्टर कालेज डीडीहाट का भवन निर्माण करने, 2. जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट में मिनी स्टेडियम का निर्माण करने, 3. पिथौरागढ़ में थल में पालीटेक्निक कालेज खोलने, 4. जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट में वाचनालय खोलने, 5. जनपद पिथौरागढ़ के सौणराथी में दैवीय आपदा से बहा पैदल गाडर पुल का निर्माण करने, 6. जनपद पिथौरागढ़ के पांखू में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने, 7. जनपद पिथौरागढ़ के काली विनायक पुरानाथल मोटर मार्ग का डामरीकरण, 8. डीडीहाट के आदिचौरा मोटर मार्ग का डामरीकरण, 9. जनपद पिथौरागढ़ के नाचनी बासबगड का डामरीकरण, 10. जनपद पिथौरागढ़ के रामगंगा नदी रिंगूनिया के पास झूलापुल निर्माण, 11. जनपद पिथौरागढ़ के पुरानाथल-तड़ीगांव मोटर मार्ग पर रामगंगा में मोटर पुल निर्माण, 12. जनपद पिथौरागढ़ के क्वीटी में स्वास्थ्य भवन का निर्माण, 13. जूनियर हाईस्कूल बिर्थी का उच्चीकरण करने, 14. पिथौरागढ़ के रा0क0उ0मा0 विद्यालय थल का उच्चीकरण करने,

...8/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		15. जनपद पिथौरागढ़ में पर्यटन स्थल शिराकोट, एक हतिया देपाल होकरा देवी, कोट्गाड़ी मंदिर को पर्यटन के नक्शे में अंकित करने, 16. जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत डीडीहाट को जनपद बनाने, 17. जनपद पिथौरागढ़ के थल-भटीगांव मोटर मार्ग के निर्माण, 18. जनपद पिथौरागढ़ के भण्डारी गांव से बोकटा तक मोटर मार्ग निर्माण।"
6.	श्री अनिल नौटियाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. जनपद चमोली में कर्णप्रयाग वि0ख0 के कालेश्वर नामक स्थान पर ट्रास्पोट नगर की स्थापना, 2. जनपद चमोली के गैरसैण में अपर शिक्षा निदेशक कार्यालय की स्थापना, 3. जनपद चमोली के गौचर में स्टेडियम निर्माण करने, 4. नागचुलाखाल को जिला बनाने, 5. कर्णप्रयाग एवं गैरसैण महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं की नियुक्ति करने, 6. कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल चूला गबनी, विजय सैण, आगरचट्टी, हरगड के उच्चीकरण करने, 7. कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रा0उ0मा0वि0 सलियाणा नन्दासैण, नैली, बरतोली, लाटूगैर, चौरासैण, उम्टा एवं कन्या हा0 नौटी के उच्चीकरण, 8. कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बड़ेथ पिण्डवाली मोटर मार्ग के चौड़ीकरण करने, 9. झुरकण्डे-नैणी मोटर मार्ग के चौडीकरण करने, 10. मटियाला-किरसाल मोटर मार्ग के चौड़ीकरण करने, 11. पुनगांव-विछौना मोटर मार्ग के चौड़ीकरण करने, 12. सिमली-शैलेश्वर मोटर मार्ग के चौड़ीकरण करने, 13. गौचर-सेल-दुगड्डा मोटर मार्ग के चौड़ीकरण करने, 14. नौटी-चौरासैण खेती मोटर मार्ग बनाये जाने, 15. देवीगाड-कण्डारीखोड मोटर मार्ग बनाये जाने, 16. दुगड्डा से बरतोली हाईस्कूल तक मोटर मार्ग के निर्माण,

...9/...

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		17. देवपुरी से पत्थरकट्टा-गाजियाबाद (गैरसैण) मोटर मार्ग के निर्माण, 18. पुनगांव में ऐलोपैथिक चिकित्सालय खोलने, 19. सिदोली में एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने, 20. देवपुरी में ऐलोपैथिक चिकित्सालय, 21. हरगड धारपानी में ऐलोपैथिक चिकित्सालय खोलने, 22. कर्णप्रयाग, गौचर, भटोली, देवलकोट, ऐलोपैथिक चिकित्सालयों के उच्चीकरण करने, 23. कर्णप्रयाग विधान सभा के अन्तर्गत नौली-झूलापुल, सिमली झूलापुल, गडौत झूलापुल, दासिमयांगांव के पास खनसर नदी पर झूला पुल बनाये जाने, 24. बारागांव पेयजल योजना रणचौरा, सजगांव, गोगना, पाण्डवाखाल, पेयजल योजना निर्माण किये जाने, 25. दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के भवनों का निर्माण करने।"
7.	श्रीमती आशा नौटियाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. केदारनाथ क्षेत्र के दैवीय आपदा पीडितों के अस्थाई पुर्नवास किये जाने, 2. श्री उत्तराखण्ड विद्यापीठ गुप्तकाशी में लम्बे समय से जनता द्वारा चल रही महाविद्यालय की मांग को स्वीकृति हेतु जोड़ने, 3. महाविद्यालय अगस्त्यमुनी को आदर्श विद्यालय का दर्जा दिये जाने एवं पी0जी0 स्तर साइंस विषय तथा बी0एड़0 कक्षायें खोले जाने, 4. केदारनाथ क्षेत्र में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त मार्गो, मोटर मार्गो, पुलो सरकारी भवनों के पुर्ननिर्माण करने, 5. अगस्त्यमुनी में स्वीकृत केन्द्रीय विद्यालय की कक्षाओं को संचालित कराये जाने हेतु प्रयास किये जाने, 6. राज्य में उच्चीकृत विद्यालयों और नई तहसीलों में कर्मचारियों की व्यवस्था करने,

...10/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		7. राज्य के स्थानान्तरित उप जिलाधिकारियों की जगह पर प्रतिस्थानी अधिकारियों की तैनाती तत्काल करने, 8. पहाडी क्षेत्रों में आलू किसानों को उचित मूल्य दिये जाने, 9. विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में विद्युत आपूर्ति सुचारू किये जाने, 10. प्रसिद्ध तीर्थस्थल केदारनाथ को मोटर मार्ग से जोडे जाने, 11. ऊखीमठ तहसील मुख्यालय में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, 12. विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में भूकम्प से क्षतिग्रस्त ग्रामीणों को आवासीय भवनों का मुआवजा दिये जाने, 13. जनपद रूद्रप्रयाग के गुप्तकाशी कुण्ड के क्षतिग्रस्त पावर हाउस का पुर्ननिर्माण कर विद्युत आपूर्ति किये जाने, 14. अगस्त्यमुनी में बालिका इण्टर कालेज में विज्ञान भवन का निर्माण किये जाने, 15. तल्लानागपुर में नये विकास खण्ड का सृजन किये जाने।"
8.	श्री मदन कौशिक	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ बनाने की योजना, 2. प्रदेश के किसानों को गन्ने का मूल्य निर्धारण एवं भुगतान, 3. किसानों को मुफ्त बिजली एवं पानी की आपूर्ति किये जाने, 4. बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने, 5. हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र में कन्या सांईस डिग्री कालेज खोलने, 6. हरिद्वार में आयुर्वेद विश्वविद्यालय खोलने, 7. हरिद्वार में संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने, 8. उत्तरांचल में वैट लागू न करने, 9. प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने, 10. उत्तरांचल में विधायकों हेतु विधायक निधि 1 करोड़ किये जाने, 11. उत्तरांचल में पर्यावरण की रक्षा हेतु कार्य योजना बनाये जाने,

...11/..

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

12. भ्रष्टाचार पर अंकुश हेतु स्पष्ट नीति बनाने,
13. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन में वृद्धि करने,
14. विधवा, वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि करने,
15. उत्तरांचल निर्माण के आंदोलनकारियों को पेंशन दिये जाने,
16. प्रदेश में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिये जाने,
17. हरिद्वार में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ स्थापित करने हेतु प्रयास किये जाने,
18. हरिद्वार में लगने वाले कावड मेले सहित अन्य मेलों को नोटिफिकेशन कर धन देने की व्यवस्था करने,
19. हरिद्वार के ज्वालापुर में बस स्टैड़ बनाये जाने,
20. हरिद्वार को नगर निगम बनाये जाने,
21. हरिद्वार के शिवालिक नगर को नगर पंचायत बनाने,
22. हरिद्वार में सिटी बस चलाने,
23. हरिद्वार के पौराणिक महत्व के स्थलों को विकसित करने,
24. हरिद्वार में एल0एल0बी0 एवं बी0एड0 की कक्षायें खोलने,
25. हरिद्वार में मेडिकल कालेज खोलने,
26. राज्य में गौ रक्षा आयोग बनाने,
27. उत्तरांचल के संस्कृत विद्यालयों को पंचम वेतनमान दिये जाने,
28. संस्कृत विद्यालयों में अध्यापकों एवं अन्य स्टाफ की नियुक्ति किये जाने,
29. रूड़की को जिला बनाये जाने,
30. हरिद्वार के बहादराबाद, भगवानपुर, सुल्तानपुर, को नगर पंचायत बनाने,
31. हरिद्वार को कमिशनरी बनाने,
32. हरिद्वार में पुलिस हिंसा के दौरान मारे गये व्यक्तियों, घायलों एवं लूटी गयी दुकानों के मालिकों को मुआवजा दिये जाने,
33. हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र शान्ति बिहार, लाल मन्दिर, गोलद द्वार, ज्वालापुर रेलवे स्टेशन के सामने वाला क्षेत्र एवं भूपतवाला क्षेत्र को सीवरेज से जोड़ने,
34. हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी हेतु ज्वालापुर इण्टर कालेज एवं इन्डस्ट्री एरिया में प्रस्तावित ट्यूवैल को लगाने,

...12/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		35. हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र के लाटोवाली में नाले के निर्माण करने तथा हरिद्वार को हवाई मार्ग से जोड़ने हेतु प्रयास किये जाने।"
9.	श्री अरविन्द पाण्डे	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. बरैहनी हाईस्कूल को इण्टर कालेज की मान्यता दिए जाने, 2. बेरियादौलत हाईस्कूल को इण्टर कालेज की मान्यता दिये जाने, 3. बाजपुर में युवाओं द्वारा स्टेडियम बनाये जाने की मांग, 4. चीनी मिल के कर्मचारियों का चतुर्थ वेज बोर्ड व पंचमवेज बोर्ड लागू किये जाने, 5. बाजपुर चीनी मिल के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने, 6. बाजपुर विचपुरी फार्म में इण्टर कालेज हेतु प्रस्तावित भूमि पर भू-माफियों का कब्जा हटाने, 7. बाजपुर गढरी नदी का पुल टूटने तथा यातायात बाधित होने, 8. बाजपुर क्षेत्र की टूटी मुख्य सडकों के निर्माण किये जाने, 9. बाजपुर क्षेत्र के कोशीपुल से सेतखेडी गांव तक कोशी बद्राबका में किनारे भूमि कटाव तथा पिचिंग के संबंध में, 10. बाजपुर क्षेत्र के हरिपुरा-हरसान इण्टर कालेज की 4 एकड़ भूमि वन भूमि से हटाकर इण्टर कालेज के नाम स्थानान्तरित करने।"
10.	श्री कैलाश शर्मा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. अल्मोड़ा में मेडिकल कालेज की स्वीकृति, 2. अल्मोड़ा में सेराघाट सरयू नदी से अल्मोड़ा नगर एवं निकटवर्ती ग्राम पंचायतों हेतु पेयजल योजना निर्माण, 3. अल्मोड़ा हवालबाग में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह निर्माण की स्वीकृति,

...13/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		4. अल्मोड़ा के लमगड़ा में ल्वेशाल से उन्यूड़ा मोटर मार्ग के निर्माण, 5. अल्मोड़ा के लमगड़ा विशौद में राजकीय ऐलोपैथिक अस्पताल के निर्माण, 6. अल्मोड़ा के भैसियाछाना विकास खण्ड में आई0टी0आई0 की स्वीकृति, 7. अल्मोड़ा के भैसियाछाना में स्टेडियम निर्माण, 8. अल्मोड़ा के लमगड़ा में राजकीय पालिटेक्निक की स्वीकृति दिये जाने, 9. अल्मोड़ा के हवालबाग में जूनियर हाईस्कूल बल्टा के उच्चीकरण करने, 10. अल्मोड़ा नगर में नये बालिका एवं बालक राजकीय इण्टर कालेजों की स्वीकृति देने, 11. अल्मोड़ा नगर में टैक्सी स्टैण्ड की स्वीकृति देने, 12. अल्मोड़ा के हवालबाग में ममरछीना कसून मोटर मार्ग के निर्माण करने, 13. अल्मोड़ा के भैसियाछाना में नौ गांव, कुनखेत में पैदल पुल निर्माण करने, 14. अल्मोड़ा के हवालबाग में महतबां, स्यूरा बर्शिमी मोटर मार्ग निर्माण करने, 15. अल्मोड़ा के लमगड़ा विसौद पट्टी उन्यूड़ा में डिग्री कालेज की स्वीकृति देने, 16. अल्मोड़ा के भैसियाछाना में महिला डिग्री कालेज की स्वीकृति देने, 17. अल्मोड़ा लमगडा के उन्यूड़ा स्यूणसीमा में फडका नदी पर हाईड्रम योजना बनाने, 18. अल्मोड़ा के लमगड़ा में बूसोड़ी के तोक भेडागांव में हाईड्रम योजना बनाने।"
11.	श्री माल चन्द	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत मोरी में भू-स्खलन एवं बाढ से पीडितों को राहत एवं विस्थापितों के पुर्नवास, 2. आलू, सेव, टमाटर आदि का समर्थन मूल्य निर्धारण,

...14/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		3. पुरोला में कृषि मण्डी स्थापित किये जाने, 4. पुरोला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने, 5. रोडवेज बस सेवा देहरादून शांकरी आराकोट, राजगढ़ी तक चलाये जाने, 6. बाढ एवं भूस्खलन क्षेत्र नैटवाड बाजार अन्यत्र बसाये जाने, 7. केदार, काण्ठा, सरताल, हरकीदून, देववन का सौन्दर्यीकरण किये जाने, 8. भेड पालकों को चरान चुगान की सुविधा दिये जाने, 9. सेव, टमाटर आदि के विपणन की व्यवस्था किये जाने, 10. वि0ख0 मोरी एवं वडियार को मोटर मार्ग से जोडने, 11. वि0ख0 पुरोला में ऐलोपैथिक चिकित्सालय खोलने, 12. मोरी के भूस्खलन से प्रभावित लोगों विस्थापितों को मुआवजा दिये जाने, 13. विधान सभा क्षेत्र पुरोला के पर्वतीय क्षेत्र के जू0हाई0 एवं हाई0 स्कूल के उच्चीकरण किये जाने।"
12.	श्रीमती विजय बड़थ्वाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. यमकेश्वर में एक महाविद्यालय की स्थापना किये जाने, 2. कौड़िया किमसार रोड का डामरीकरण किये जाने, 3. चैलूसैंण घट्टू गाड रोड का डामरीकरण किये जाने, 4. फूल चट्टी नामक स्थान में ह्यूवल नदी पर झूला पुल का निर्माण करने, 5. मा0 वि0 महादेव चट्टी/हीराखाल, जू0 हाई0 स्कूल बिन्दा, क0जू0हाई0 स्कूल माला, जू0हाई0 चोपड़ा/तिलधार खाल का उच्चीकरण करने, 6. राजकीय पालिटेक्निक थलनदी में स्वीकृत सभी ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रारम्भ किये जाने, 7. मोहन चट्टी नामक स्थान पर ह्यूबल नदी में झूला पुल का निर्माण किये जाने, 8. ऋषिकेश चीला मोटर मार्ग पर बी नदी में मोटर पुल का निर्माण किये जाने,

...15/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		9. स्वर्गाश्रम में वेद निकेतन के पास स्थाई मोटर पुल का निर्माण किये जाने, 10. राजाजी राष्ट्रीय पार्क में रहने वाले वन गूजर एवं अन्य गांवों को अन्यत्र विस्थापित किये जाने, 11. विकास खण्ड दुगड्डा में नालीखाल-पोखरी रोड का चौड़ीकरण, डामरीकरण किये जाने, 12. नीलकंठ मेले को राज्य स्तरीय दर्जा दिये जाने।"
13.	श्री हरभजन सिंह चीमा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र काशीपुर में वाई पास बनाए जाने, 2. जनपद उधमसिंह नगर के काशीपुर में हवाई पट्टी बनाए जाने, 3. जनपद उधमसिंह नगर की काशीपुर तहसील को जसपुर, रामनगर, बाजपुर व गदरपुर क्षेत्र को सम्मिलित कर जिला बनाये जाने, 4. जनपद उधमसिंह नगर की तहसील काशीपुर के अन्तर्गत नव सृजित तहसील जसपुर के 19 गांवों एवं तहसील बाजपुर के गांवों को तहसील काशीपुर में मिलाए जाने, 5. उत्तरांचल में बस रही जट सिक्ख जाति को पिछड़ा वर्ग घोषित किए जाने, 6. उत्तरांचल में पिछले लम्बे समय से किसानों के कब्जे काश्त की रवैन्यू रिकार्ड में वर्ग 4 में अंकित भूमि को रेगुलराईज कर किसानों को भूमि धरी का अधिकार दिए जाने, 7. जनपद उधमसिंह नगर के ब्लाक काशीपुर के ग्राम लक्ष्मीपुर, महतावन व महुआ जाति का पुलिस नियंत्रण थाना बाजपुर से हटाकर कोतवाली काशीपुर से किए जाने, 8. उत्तरांचल के उद्यमियों पर ऐसे आधारहीन केस जो लगभग 10 वर्षों से पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए थे और जो केन्द्र सरकार द्वारा उस समय उद्यमियों को दी गई ट्रांसपोर्ट सबसीडी से सम्बन्धित है, सरकार द्वारा वापस लिए जाने,

...16/...

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		9. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र काशीपुर के ग्राम बांस खेडा आदि ग्रामों को ढेला नदी के कटाव से पैदा हुए खतरे से बचाए जाने हेतु ढेलानदी पर बांध बनाए जाने, 10. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र काशीपुर के ग्रामों शिवलालपुर अमर, झंडा, ढकिया नं-1 व ग्राम जुडका में कन्या हाई स्कूल स्वीकृत किए जाने, 11. विधान सभा क्षेत्र काशीपुर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 2 से 5 कि0मी0 की दूरी वाले मतदेय स्थलों में अतिरिक्त मतदान स्थल बनाए जाने, 12. विधान सभा क्षेत्र काशीपुर की नगर पालिका काशीपुर के अन्तर्गत जीर्णशीर्ण हो चुके पशु चिकित्सालय के भवन के स्थान पर नया भवन बनाए जाने, 13. विधान सभा क्षेत्र काशीपुर की नगर पालिका क्षेत्र काशीपुर में अधूरे पडे प्रजापति समाज के सभागार को धन आवंटन किए जाने , 14. जनपद उधमसिंह नगर में वर्ष 1992-93 में (10-11 वर्ष पूर्व) पुलिस प्रशासन द्वारा सामाजिक व्यक्तियों जिनका उससे पूर्व कोई अपराधिक रिकार्ड था और ना ही पिछले लम्बे समय से किसी भी थाने या कोतवाली में कोई अपराधिक गतिविधि दर्ज है, उनके नाम पर थानों व कोतवालियों में हिस्ट्री शीट खुली है, उनके खिलाफ खुली हिस्ट्री शीट बन्द किए जाने, 15. विधान सभा क्षेत्र काशीपुर के अन्तर्गत स्थित राधे हरी डिग्री कालेज में दो अतिरिक्त ब्लाक बनाए जाने हेतु महाविद्यालय द्वारा शासन को भेज गए प्रस्ताव जो 319.60 लाख एवं 274.71 लाख के हैं, स्वीकृत किए जाने व धन आवंटित किए जाने।"
14.	श्री काशी सिंह ऐरी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. राज्य की स्थायी राजधानी बनाने, 2. विकल्पधारियों को उत्तर प्रदेश वापस भेजने, 3. उत्तराखण्ड के राज्य आन्दोलनकारियों को रोजगार व अन्य सुविधाऐं देने,

...17/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		4. खटीमा, मसूरी, मुजफ्फर नगर सहित राज्य आन्दोलनकारियों पर दमनात्मक कार्यवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने, 5. पर्वतीय गांधी स्वर्गीय इन्द्रमणी बडोनी की मूर्ति स्थापना किये जाने, 6. सम्यक रोजगार नीति बनाकर पांच वर्ष के अन्तर्गत बेरोजगारी दूर करने, 7. शिक्षा मित्र, शिक्षा बन्धु विजिटिंग फेकल्टी सहित अन्य विभागों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की स्थाई नियुक्ति किये जाने, 8. वित्तविहीन मान्यता प्राप्त इण्टर कालेजों, हाईस्कूलों, जूनियर हाईस्कूलों को वित्तीय मान्यता प्रदान करने व उनके प्रांतीयकरण करने, 9. देवलथल व कनालीछीना उप तहसीलों को तहसील बनाये जाने तथा असकोट को उप तहसील बनाये जाने, 10. डीडीहाट को जिला बनाये जाने, 11. ध्वज मन्दिर कनालीछीना को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु रोपवे बनाये जाने, 12. कनालीछीना में महिला पालिटैक्निक खोले जाने।"
15.	श्री प्रीतम सिंह पंवार	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. प्रदेश के शिक्षित प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराये जाने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने, 2. उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी कर्मचारियों एवं शिक्षकों को उत्तर प्रदेश भेजे जाने के लिए उन्हें कार्यमुक्त कर रिक्त स्थान पर प्रदेश के शिक्षित प्रशिक्षित बेरोजगारों को निश्चित समयावधि के भीतर नियुक्ति प्रदान करने, 3. प्रदेश के बढ्ते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए स्पेशन सेल के गठनोपरान्त लक्ष्य निर्धारित करने, 4. प्रदेश में अपराधों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों की जबावदेही तय करने, 5. प्रदेश के नौकरशाहों को अनुशासित करने के लिए आदर्श आचार संहित का सख्ती से पालन करने,

...18/...

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

6. प्रदेश के सुदूरवर्ती विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति को प्राथमिकता देने,
7. प्रदेश के भवन विहीन विद्यालयों व क्षतिग्रस्त भवनों के निर्माण को चालू वर्ष में करवाने,
8. प्रदेश के चिकित्साविहीन अस्पतालों में चिकित्सक, नियुक्त करने,
9. प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में सुदूरवर्ती गांवों के लिए चिकित्सकीय सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए विशेष योजना बनाने,
10. सीमांत जनपद उत्तरकाशी में मेडिकल कालेज खोलने,
11. सीमांत जनपद उत्तरकाशी में इंजीनियरिंग कालेज खोलने,
12. प्रदेश की पवित्र गंगा, यमुना सहित अन्य नदियों को प्रदूषण एवं कचरामुक्त करने,
13. सीमांत व विकास से वंचित जनपद उत्तरकाशी को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने,
14. दिन-प्रतिदिन बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस योजना बनाने,
15. जनपद उत्तरकाशी व टिहरी में अलग-अलग जल विद्युत परियोजनाओं में प्रभावित क्षेत्रों को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध करने,
16. बढ़ती ईधन व प्रदूषण की समस्या एवं नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए विद्युत शवदाह गृह का निर्माण करने,
17. विभिन्न दुर्घटनाओं मे घायलों व मृतकों के परिजनों को राज्य भर में एक समान आर्थिक मदद देने,
18. प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के विकास के लिए न्याय पंचायत स्तर पर खेल मैदान स्थापित करने,
19. पर्वतीय क्षेत्रों की गौरवमयी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विकास खण्ड स्तर पर संग्रहालय बनाने,
20. प्रायः समाप्त हो रहे औषधिय गुणों से परिपूर्ण पर्वतीय खान पान (व्यंजन) को बढ़ावा देने व पर्यटन से जोड़ने,
21. मनेरी भाली, पाला, लोहारीनाग (उत्तरकाशी), टिहरी बांध सहित प्रदेश में बांध प्रभावितों के परिवार से एक सदस्य को सरकारी सेवा में लेने,

...19/...

क्रं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

22. वरूणावत भूस्खलन प्रभावित शहर उत्तरकाशी के प्रभावितों को शीघ्र समुचित राहत व पुनर्वास व्यवस्था सहित सुरक्षा की गारंटी एवं भूस्खलन क्षेत्र का निर्धारित समय के भीतर ट्रीटमेंट तथा पूर्व में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरू,द्ध कार्यवाही करने,
23. टिहरी बांध प्रभावितों का समयबद्ध एवं न्यायोचित पुर्नवास करने,
24. जनपद उत्तरकाशी में गंगा व यमुना के आसपास हजारों हैक्टेयर असिंचित कृषि योग्य भूमि को सिंचित करने के लिए गंगा व यमुना नदियों से लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का निर्माण करने,
25. पर्वतीय जनपदों में बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में उघोग स्थापति करने के लिए विशेष रियायत देने,
26. राज्य की स्थाई राजधानी का चयन एवं निर्माण कर अस्थायी राजधानी में हो रहे बेहिसाब खर्चो पर रोक लगाने,
27. उत्तराखण्ड राज्य प्राप्ति आन्दोलन के शहीदों के परिजनों को सरकारी सेवा में लेने व सम्मानित करने एवं घायलों, जेल जाने वालों को सरकारी नौकरी, स्वरोजगार देने व सम्मानित करने,
28. उत्तराखण्ड राज्य प्राप्ति के शहीदों के स्मारक राज्य के प्रत्येक जनपद मुख्यालय में बनाये जाने,
29. जनपद उत्तरकाशी के लिए विशिष्ट बी0टी0सी0 की सौ सीटों को बढाकर 300 करने,
30. पर्वतीय जनपदों के सभी माध्यमिक एवं इण्टर कालेजों में कृषि विषय शुरू करने,
31. राज्य के गन्ना किसानों की समस्याओं के निदान करने,
32. पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि-बागवानी उपज का काश्तकारों को समुचित मूल्य देने तथा प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर विपणन केन्द्र खोलने,
33. प्रदेश के राजकीय उघानों को बाहरी संस्थाओं को लीज पर देने के बजाए राज्य के बेरोजगार युवकों को देने,
34. चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी) में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने,
35. उत्तरकाशी को धार्मिक नगरी घोषित किए जाने,

...20/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

36. रवांई (बडकोट) प्रतापनगर, कोटद्वार व रूडकी को जनपद बनाए जाने,
37. दैवीय आपदा,बाढ, भूस्खलन सम्भावित शहर,गांव, भूमि का सरकार द्वारा बीमा करने,
38. पर्वतीय क्षेत्रों में आबादी के आधार पर चारा, ईधन की पूर्ति के लिए बन भूमि ग्राम पंचायतों को देने,
39. विकास नगर जमुना पुल यमुनोत्री मार्ग सिंचाई विभाग व लोक निर्माण विभाग से अलग-अलग विभागों के अधीन होने से उत्पन्न समस्याओं से बचने के लिए राज्य सड़क प्राधिकरण बनाने,
40. राजकीय महाविद्यालय चिन्यालीसौड़ व बड़कोट के भवन निर्माण किए जाने,
41. चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी) में कृषि महाविद्यालय स्थापित करने,
42. स्यूरी-नौगांव (उत्तरकाशी) को फल पट्टी विकसित करने,
43. राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में लाइसेन्स बनाकर पोस्ट की खेती को स्वीकृति देने,
44. जनपद उत्तरकाशी के मणी, बधाणगांव, कुमराडा, दिचली, रौंतल, चमियारी, कांसी, कण्डाई, डबराला, मडल, जेष्ठवाडी, कामद, कुमारकोट, लसकोट, वाण, नौगांव गोडर, गट, ओडगांव, मातू, खरसाली जूनियर हाईस्कूलों का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण व मंजगांव, वर्नीगाड,, कण्डारी, कोटधार (कमरी), घटवालधार हाईस्कूलों का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण करने,
45. माओवादियों की प्रदेश में बढ़ती गतिविधियों को रोकने के लिए नेपाल से उत्तरांचल आने वाले नेपालियों का पंजीकरण व पुलिस सत्यापन अनिवार्य करने,
46. प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले उच्च जाति के मूल निवासियों को आरक्षण सुविधायें लागू करने,
47. शिक्षा मित्र, शिक्षाबन्धु, शिक्षाचार्य, बिजिटिंग प्रवक्ता, जल संस्थान में कार्यरत पी0टी0सी0, सहकारी समिति सचिव, गणक, अमीन, वन विभाग, लो0नि0वि0 सहित विभिन्न निगमों में दैनिक संविदा आधारित कर्मचारियों को नियमित कर राज्य कर्मचारियों को नियमित कर राज्य कर्मचारी घोषित करने,

...21/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		48. जनपद उत्तरकाशी के मूल निवासियों को मूल निवास प्रमाण पत्र बनावाने में आ रही दिक्कतों को दूर करने,
		49. प्रदेश के बनों में बढ्ती अग्नि की घटना को रोकने,
		50. विभिन्न विभागों में आरक्षित श्रेणी के रिक्त पदों को भरने,
		51. मुलाणा (नौगांव) उत्तरकाशी में यमुना नदी पर झूला पुल का निर्माण करने,
		52. भूस्खलन क्षेत्र जागत (उत्तरकाशी) का स्थायी समाधान करने,
		53. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत जोगत, श्रीकोट, कोटधार (दशमी), धारी-कलोगी में राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा खोलने,
		54. अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान देने,
		55. चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी) में एल0पी0जी0 डिपो एवं बिक्री केन्द्र खोलने,
		56. जनपद उत्तरकाशी की 1. चिन्यालीसौड़-बादसी 2. बधाणगांव-गली 3. सरोट-झांसी (चापड़ा) टिपरी 4. दिनारीखोल-गडोली 5. बनचौरा-बणगांव 6. बनचौरा-कोटधार 7. कल्याणी-पाटारा-स्यालना 8. कल्याणी-जुणगा 9. चामी-सिंगुणी 10. नौगांव-स्यूरी 11.बड़कोट-भाटिया 12. सारीगाड-गातु 13. स्यानाचट्टी-जानकीचट्टी सड़कों का डामरीकरण किय जाने,
		57. जनपद उत्तरकाशी के, 1. चामी-नौगांव गोडर 2. गातु-मोलगांव नौगांव गोडर 3. सिमलसारी-गैर 4. धारी-(कलोगी) से बज्लाड़ी नौगांव 5. स्यालना-कुथनोर 6. स्यालना-सरतली 7. छैजूला-कवाटा 8. बनाड़ी 9. दीवारीखोल-गड़त 10. कथौंगी-चिलोट 11. चिन्यालीसौड़-कोटबागी 12. कामदा-मुरोगी-कोटधार, मोटर मार्गो का निर्माण किये जाने,
		58. देहरादून से जोगत, विकासनगर से बनचौरा-देहरादून से बडगांव तक राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों को संचालित करने,
		59. जोगत (उत्तरकाशी) भूस्खलन से प्रभावित जोगत तल्ला, खालसी-गाड वाल गाड, मणी ग्राम पंचायत के काश्तकारों की कृषि योग्य भूमि व भवनों के प्रतिकर भुगतान करने,
		60. जड़ी-बूटी विभाग को अलग विभाग बनाने,
		61. जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत सिंचाई विभाग कर्मियों को निगम कर्मियों की भांति समान रूप से विभागीय विद्युत टेरिफ की बहाली करने,

...22/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		62. जनपद उत्तरकाशी स्थित प्रसिद्ध तीर्थ व पर्यटक स्थल स्वपनौलइड़ा, जगदेई, देवराणा, बनासव सेम-मुखेम, मौरयाणा डाडा (टिहरी गढ़वाल) को पर्यटन मानचित्र में सम्मिलित करने, 63. धरासू गाड से बडेती-नागडी के लिए सिंचाई योजना का निर्माण करने, 64. जनपद उत्तरकाशी के 1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नौगावं 2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिन्यालीसौड़ 3. अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र बनचौरा व ब्रह्मखाल 4. राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय दिचली कफनौल, राना के उच्चीकरण करने, 65. प्रसिद्ध तीर्थ स्थल यमुनोत्री के लिए जानकी चट्टी से रज्जु मार्ग बनाने।"
16.	डा0 नारायण सिंह जन्तवाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. राज्य की स्थायी राजधानी बनाने, 2. उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी-कर्मचारी-शिक्षकों की पूर्ण वापसी करने, 3. पर्वतीय गांधी स्वर्गीय इन्द्रमणी बडोनी की मूति प्रत्येक जनपद मुख्यालय में स्थापित करने, 4. उत्तरांचल राज्य में वित्त-विहीन मान्यता प्राप्त इण्टर कालेजों व हाईस्कूलों में निःशुक्ल पुस्तकों व कम्प्यूटरों का वितरण करने, 5. उत्तराखण्ड के राज्य आन्दोलनकारियों को रोजगार व अन्य सुविधाऐं देने, 6. खटीमा, मसूरी एवं मुजफ्फरनगर सहित राज्य आन्दोलनकारियों पर दमनात्मक कार्यवाही करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने, 7. सम्यक रोजगार नीति बनाकर 5 वर्ष के भीतर बेरोजगारी दूर करने,

...23/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

8. शिक्षा मित्र, शिक्षा बन्धु बिजिटिंग फैकल्टी सहित अन्य विभागों के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति देने,
9. राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल की झीलों के संरक्षण के कार्य हेतु एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति किये जाने तथा माल रोड नैनीताल की सुरक्षा हेतु वाडियां संस्थान देहरादून की संस्तुति के आधार पर कार्यवाही किये जाने,
10. नगर पालिका परिषद् नैनीताल एवं भवाली की विशेष परिस्थितियों के कारण आर्थिक स्थिति ठीक करने हेतु आर्थिक अनुदान देने,
11. भीमताल एवं भवाली में सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को नैनीताल शहर की भांति बी-2 श्रेणी के अन्तर्गत आवासीय भत्ता देने,
12. भीमताल व कालाढूंगी नगर पंचायतों में आई0टी0आई0 की स्थापना किये जाने,
13. भवाली व कालाढूंगी में सिंवर लाईन बिछाए जाने,
14. एच0एम0टी0 घडी कारखाना रानीबाग (नैनीताल) एंव भवाली स्थित वांच एसेंम्वलिंग यूनिट को सुचारू रूप से चलाने हेतु विशेष अनुदान देने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध करने,
15. केन्द्रीय करों से राज्य को विशेष अनुदान प्राप्त किये जाने हेतु प्रयास किये जाने,
16. नैनी झील की सुरक्षा हेतु खुरपाताल बलदीयाखांन बाई पास तथा भवाली व भीमताल जनपद नैनीताल में बाई पास बनाये जाने,
17. प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने,
18. नैनीताल स्थित "गनीहाउस" जिम कारबेट संग्राहालय बनाये जाने,
19. जनपद नैनीताल स्थित राज्य रक्षालय संस्थान पटुवा बाडागर को सुचारू रूप से चलाने,
20. क्षय रोगाश्रम भवाली (नैनीताल) एवं गेठिया की स्थित का सुधार करने,
21. नैनीताल स्थित गोविन्द बल्लभ चिकित्सालय को आधुनिक सुविधाओं से सुस्सजित करने,

...24/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		22. नैनीताल स्थित बी0डी0 पाण्डे चिकित्सालय में चिकित्सकों हेतु आवास निर्माण किये जाने, 23. भवाली व भीमताल (नैनीताल) स्थित राजकीय बालिका इण्टर कालेजों के भवन निर्माण किये जाने, 24. कालाढूंगी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण किये जाने, 25. नैनीताल में आधुनिक सुविधाओं से सुस्सजित प्रेक्षागृह निर्माण किये जाने, 26. कुमांऊ विश्वविद्यालय डी0एस0बी0 परिसर में रोजगार परक विषय खोलने, 27. जमुरानी बांध नैनीताल (नैनीताल) का निर्माण किये जाने, 28. कालाढूंगी (नैनीताल) में ग्रामीण पेयजल योजनाओं को निर्धारित समय सीमान्तर्गत पूर्ण किये जाने, 29. भीमताल (नैनीताल) शहरी पेयजल योजना को निर्धारित समय अन्तर्गत पूर्ण किये जाने, 30. राजकीय हाईस्कूल नौकुचियाताल, अमिया व दोगडा जनपद नैनीताल को इण्टर स्तर तक उच्चीकरण करने, 31. बलिया नाला सुदृढ़ीकरण योजना को बीरभट्टी व प्रभावी ग्रामीण क्षेत्र तक विस्तारीकरण करने, 32. नैनीताल नगर की सुरक्षा हेतु बनाये गये नालों (ड्रेनेज) की लगातार सफाई करने, 33. ताकुला (जनपद नैनीताल) को हिमालयी संस्कृति पर आधारित संग्राहलय बनाये जाने,
17.	श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. राज्य की स्थायी राजधानी बनाने, 2. विकल्पधारियों को उत्तर प्रदेश वापस भेजने, 3. उत्तराखण्ड के राज्य आन्दोलनकारियों को रोजगार व अन्य सुविधाऐं देने, 4. खटीमा, मसूरी, मुजफ्फर नगर सहित राज्य आन्दोलनकारियों पर दमनात्मक कार्यवाही करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने,

...25/...

क्रं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		5. पर्वतीय गांधी स्वर्गीय इन्द्रमणी बडोनी की मूर्ति स्थापना किये जाने, 6. सम्यक रोजगार नीति बनाकर पांच वर्ष के अन्तर्गत बेरोजगारी दूर करने, 7. शिक्षा मित्र, शिक्षा बन्धु विजिटिंग फेकल्टी सहित अन्य विभागों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की स्थाई नियुक्ति दिये जाने, 8. कुमांऊ इंजिनियरिंग कालेज द्वाराहाट (अल्मोड़ा) को आई0आई0टी0 का दर्जा दिये जाने हेतु प्रयास किये जाने, 9. वित्तविहीन मान्यता प्राप्त इण्टर कालेजों, हाईस्कूलों, जूनियर हाईस्कूलों को वित्तीय मान्यता प्रदान करने व उनके प्रांतीयकरण किये जाने, 10. चौखुटिया अल्मोड़ा में महिला पालिटैक्निक खोले जाने, 11. दुनागिरी, मानिला, द्वाराहाट, चौखुटिया, कालिका जनपद अल्मोडा को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करने, 12. रानीखेत, द्वाराहाट, चौखुटिया मोटर मार्ग (अल्मोड़ा) को हाटमिक्स किये जाने, 13. चौखुटिया-मांसी मोटर मार्ग (अल्मोड़ा) के सुदृढीकरण किये जाने, 14. विन्ता, द्वाराहाट (अल्मोड़ा) में आई0टी0आई0 खोले जाने, 15. दुनागिरी मन्दिर द्वाराहाट परिक्षेत्र को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु रज्जु मार्ग से जोडे जाने।"
18.	श्री अजय भट्ट	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. उत्तरांचल के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराये जाने, 2. उत्तरांचल की महिलाओं के उत्थान हेतु योजना बनाये जाने, 3. उत्तरांचल के विजिटिंग फेकल्टी, शिक्षक बन्धु एवं शिक्षक मित्रो को नियमित किये जाने, 4. लो0नि0वि0 एवं जल संस्थान के दैनिक भोगी एवं तदर्थ कर्मचारियों को नियमित किये जाने,

...26/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

5. उत्तरांचल की प्रशिक्षण प्राप्त दाइयों को मानदेय दिये जाने,
6. उत्तरांचल की गम्भीर पेयजल समस्याओं के निराकरण हेतु लिफ्ट पम्पिंग योजनाओं की स्वीकृति किये जाने,
7. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 50-50 हैण्ड पम्प (रिंग बोरिंग) दिये जाने,
8. प्राथमिक स्कूलों में दिन के भोजन में हो रही असुविधा को दुरस्त किये जाने,
9. रानीखेत चौबटिया रोप-वे बनाये जाने,
10. ताड़ीखेत में उत्तरांचल प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का डिपो बनाये जाने,
11. रानीखेत नगर की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए एक अतिरिक्त राजकीय कन्या इण्टर कालेज एवं अन्य राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने,
12. रानीखेत-पंतकोटली मोटर मार्ग के चौड़ीकरण किये जाने,
13. द्वारसों-काकड़ीघाट, द्वारसों-सितलाखेत, सौनी - तितालीखेत -चमड़खान, सौनी-देवलीखेत-ड्योडाखाल, चौबटिया - कुनेलाखेत - बमस्यू एवं ताड़ीखेत-पीपली-मजूरखांन सड़कों के डामरीकरण किये जाने,
14. कालिका-दलमोटी सड़क लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित किये जाने,
15. रानीखेत-एरोड़-खनिया, मगंचौड़ा-मकड़ू, पीपलटाना-गगास मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाये जाने,
16. द्वारसौ-काकडीघाट सड़क का कार्य प्रारम्भ करवाये जाने,
17. काकड़ीघाट-सितलाखेत अपूर्ण सड़क के शेष भाग का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाये जाने,
18. रानीखेत-वलना-गगास सडक का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाये जाने,
19. खिरखत-कारचुली सडक का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाये जाने,
20. ज्यूड़ा ग्वेल के सिलोर महादेव तक सडक का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाये जाने,
21. ताड़ीखेत-पीपली-मजूदरखान सडक का निर्माण कार्य करवाये जाने,

...27/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

22. गन्यादयोली-टाना-विशालकोट सडक का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाये जाने,
23. इयोडाखाल से पस्तोड़ा वधिया होते हुए सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाये जाने,
24. खैरना से ज्याड़ी-पोखरी-बोहरागांव होते हुए स्वीकृत सडक का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाये जाने,
25. भुजान-चापड़ से विल्लेख तक सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाये जाने,
26. उपराड़ी से शिलंगी तक सड़क निर्माण का कार्य प्रारम्भ करवाये जाने,
27. सिरोली बैण्ड से बेड़गांव तक स्वीकृत 1 कि0मी0 सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने एवं शेष मार्ग को शीतलाखेत तक मिलाये जाने,
28. मण्डी परिषद् द्वारा स्वीकृत चौबटिया-नागपानी सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाये जाने,
29. ताड़ीखेत-थकुलाड़ी-बैना, मटेला-मनिहार सड़क का निर्माण करने,
30. ताड़ीखेत-पथुली-मण्डलकोट का निर्माण करने,
31. नैनी-जाना मोटर मार्ग के शेष भाग को स्वीकृत करने,
32. मजखाली-दिगोटी, दुगौड़ा मोटर मार्ग को स्वीकृत किये जाने,
33. रानीखेत तहसील के नैनी नामक स्थान पर अस्वीकृत 132 के0वी0 विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण किये जाने,
34. गगासं-चमड़खान पम्पिंग पेयजल योजना को क्षेत्र की गम्भीर पेयजल संकट को देखते हुए तुरन्त स्वीकृति प्रदान किये जाने,
35. क्षेत्र की गम्भीर पेयजल समस्या को देखते हुए कोशी-शेर पम्पिंग पेयजल योजना को तुरन्त स्वीकृति प्रदान किये जाने,
36. क्षेत्र की गम्भीर पेयजल समस्या को देखते हुए कोशी थापल-रीची-बिल्लेख पम्पिंग पेयजल योजना को तुरन्त स्वीकृति प्रदान किये जाने,
37. मजखाली, जालली मछोड़ एवं मासी को वि0ख0 बनाये जाने,

...28/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

38. गगास-रानीखेत-ताड़ीखेत पम्पिंग पेयजल योजना के पुर्नगठन किये जाने,
39. रानीखेत तहसील के रा0हाई0 द्वारसो, रा0हाई0 जैना एवं रा0हाई0 चौकुनी को इण्टर स्तर तक उच्चीकरण किये जाने,
40. रानीखेत तहसील के जू0हाई0 भैसोली, जू0हाई0 देहोली, जू0हाई0 पनघट, जू0हाई0 बजीना एवं जू0हाई0 शालीखेत का हाईस्कूल स्तर तक उच्चीकरण किये जाने,
41. वि0ख0 ताड़ीखेत के उरोली, दहोली, नागपानी, बिल्लेख एवं चौगांव में ए0एन0एस0 सैन्टर खोले जाने,
42. तहसील रानीखेत के डोल की धार खिरखेत एवं बग्वान में 6 बैड का छोटा चिकित्सालय खोले जाने,
43. पूर्व में स्वीकृत ऐरी गधेरा-रूमा-बजीना पेयजल योजना का अविलम्ब निर्माण किये जाने,
44. अल्मोड़ा जिले के ताड़ीखेत एवं द्वाराहाट विकास खण्ड के रानीखेत विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों में पेयजल योजनाओं को धन दिये जाने,
45. विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के राजकीय हाईस्कूलों एवं राजकीय इण्टर कालेजों में रिक्त पड़े अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यो के पद सृजित भरे जाने,
46. रानीखेत तहसील के अशासकीय विद्यालयों में रिक्त पड़े प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों के पद भरे जाने,
47. नागरिक चिकित्सालय रानीखेत में पूर्व में स्वीकृत ब्लड बैंक की स्थापना एवं अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने,
48. चमड़खान से सैलापानी तक स्वीकृत सड़क का शीघ्र निर्माण किये जाने,
49. नागरिक चिकित्सालय रानीखेत में रिक्त पड़े चिकित्सकों के पदों पर तैनाती करने,
50. जल निगम रानीखेत में, अवर-अभियन्ताओं एवं सहायक अभियन्ताओं के रिक्त पदों पर शीघ्र तैनाती किये जाने,
51. लो0नि0वि0 प्रान्तीय खण्ड एवं निर्माण खण्ड रानीखेत रिक्त पड़े अमीन, अवर-अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ताओं के पदों पर शीघ्र तैनाती करने,
52. चौबटिया स्थित उद्यान निदेशालय की रिसर्च शाखा से चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को नियम विरूद्ध जिले एवं मण्डल से बाहर स्थानान्तरण किये जाने,

...29/...

क्रं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		53. उत्तरांचल को सूखा ग्रस्त घोषित किये जाने, 54. अभ्याड़ी-कुडकोली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य करवाये जाने, 55. पन्याली से श्रीराम मन्दिर तक स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य किये जाने।"
19.	श्री हरबंस कपूर	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. अस्थायी राजधानी देहरादून की बिगडती कानून व्यवस्था में सुधार लाने, 2. अस्थायी राजधानी देहरादून में भू-माफिओं द्वारा सरकारी व असरकारी भू-खण्डों पर अवैध कब्जे किये जाने पर रोक लागाने, कब्जे करवाये जाने वालों के विरूद्ध जांच करवाने एवं दंडित करवाने तथा सरकारी रिक्त भूमि को सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित करने, 3. देहरादून में मूलभूत समस्याओं जैसा कि यातायात, आवास, पेयजल, प्रदूषण पर नियंत्रण, सफाई आदि को देखते हुए देहरादून के केन्द्रीय स्थल से दूर नया देहरादून बसाये जाने, 4. देहरादून विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विजय पार्क में स्थित पेयजल ट्यूबैल की अक्षमता को देखते हुए उसे निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने तथा उसके स्थान पर नया ट्यूबैल लगाये जाने, 5. देहरादून विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खुड़बुड़ा गोविन्दगढ़ क्षेत्रों की विकट पेयजल समस्याओं को देखते हुए खुड़बुड़ा में पेयजल नलकूप लगाये जाने, 6. देहरादून विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चुक्खु मौहल्ला, टैगोर कालोनी, कनाट पैलेस लूनिया मौहल्ला आदि क्षेत्रों की विकट पेयजल समस्या को देखते हुए उच्च जलाशय एवं पेयजल नलकूप लगाये जाने,

....30/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

7. देहरादून विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत घण्टाघर से चुक्खुवाला मोड़ तक वर्तमान में बनाई गयी यातायात व्यवस्था को अव्यवहारिक घोषित करते हुए पूर्व निर्धारित व्यवस्था को बहाल करने,
8. मसूरी देहरा विकास प्राधिकरण में बढ़ाये गये शुल्क को समाप्त कर पूर्व निर्धारित विकास शुल्क को लागू करने,
9. मसूरी देहरा विकास प्राधिकरण की कार्यशैली में पारदर्शिता लाने तथा जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने,
10. देहरादून नगर निगम में शासन द्वारा अभी तक डेढ वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी कक्ष समितियों के चुनाव न कराये जाने के लिए दोषी अधिकारियों को दंडित किये जाने एवं कक्ष समितियों के चुनाव अविलम्ब कराये जाने के निर्देश जारी करने,
11. नगर निगम देहरादून के अन्तर्गत नगर निगम की भूमि पर अवैध कब्जे कराये जाने या उसे प्रोत्साहित किए जाने के लिए दोषी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की लिप्तता की जांच कराये जाने एवं दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किए जाने,
12. देहरादून विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लूनिया मौहल्ला, डांडीपुर, हकीकतराय नगर, खुड़बुड़ा आदि क्षेत्रों से गुरजने वाले गन्दे नाले में सीवर के सीधे संयोजनों बन्द किए जाने तथा जो क्षेत्र सीवर लाइन से पोषित है उन संयोजनों को सीवर लाइन से जोड़ने तथा अपोषित क्षेत्रों में सीवर लाइन बिछाकर अन्य संयोजनों को उसमें संयोजित करने,
13. देहरादून नगर निगम को राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार योजनार्थ वर्ष 2002-2003 में मलिन बस्तियां के विकास कार्यो के लिए रू0 58.55 लाख की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त होने के पश्चात् भी अनेक मलिन बस्तियों में कार्य पूरा न किये जाने तथा समस्त विकास कार्यो को समयबद्ध एवं पूर्ण गुणवत्ता से पूरे किये जाने।"

...31/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
20.	श्री प्रेमानन्द महाजन	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. (I) जनपद-ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर में (मसीत से) सकैनिया मोटर मार्ग का पुनः निर्माण किये जाने, (II) जनपद-ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर मटकोटा, गदरपुर बाई पास मार्ग से सुन्दरपुर- रामबाग-चन्दननगर- खटोला मार्ग का पुनः निर्माण किये जाने, (III))जनपद-ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर में आनन्दखेड़ा-नं01 मोहनपुर-महेशपुर मार्ग का पुनः निर्माण किये जाने, (IV) जनपद-ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर में चक्कीखेड़ा-धिमरी ब्लाक मार्ग से लालपुरी-लच्छी भटभोज मार्ग का पुनः निर्माण किये जाने, (V) जनपद-ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर में रायपुर-चितरंजनपुर-पंचाननपुर मार्ग का पुनः निर्माण किये जाने, (VI) जनपद-ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर में पंचाननपुर से बुकसौरा तक सम्पर्क मार्ग का पुनः निर्माण किये जाने, (VII)जनपद-ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर में -गुलरभोज-दिनेशपुर मार्ग से चरनपुन/नहरपट्टी मार्ग का पुनः निर्माण किये जाने, (VIII) जनपद-ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर मटकोरा दिनेशपुर-गदरपुर मार्ग से हरीपुरा नं0 7 मार्ग का पुनः निर्माण, 2. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत नगर पालिका-गदरपुर की विद्युत कमी को दूर करने, 3. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत नगर पालिका क्षेत्र गदरपुर में उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय की स्थापना किये जाने,

...32/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

4. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत नगर पालिका क्षेत्र गदरुपर क्षेत्र में बाई-पास मार्ग का निर्माण किये जाने,
5. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत नगर पंचायत दिनेशपुर में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का उच्चीकरण किये जाने,
6. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरुपर में कन्या माध्यमिक विद्यालय हरिदासपुर माध्यमिक विद्यालय जगदीशपुर व पिपलीया नं0 1 का उच्चीकरण किये जाने,
7. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत विकास खण्ड गदरपुर में ग्रामीण खेलकूद हेतु ग्राम मुकरन्दपुर में मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
8. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत नगर पंचायत दिनेशपुर में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण किये जाने,
9. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत एन0एच-74 (जाफरपुर) से गुलरभोज मार्ग का पर्यटन को बढ़ाने हेतु चौड़ीकरण किये जाने,
10. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत रा0इ0का0 फौजी मटकोटा विकास खण्ड रुद्रपुर में कृषि विषय खुलवाने की व्यवस्था किये जाने,
11. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किये जाने,
12. प्रदेश के विभिन्न स्थानों जैसे पन्तनगर में सिडकुल द्वारा विकसित औद्योगिक स्थानों में लग रहे उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों को 80 प्रतिशत रोजगार की व्यवस्था किये जाने,
13. प0 गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मास्टर लिस्टेड 240 दिन कार्य करने वाले मजदूरों का स्थायीकरण किये जाने।"